

Shares by the Sellers prior to the completion of the period of postal ballot which the Acquirer. Tranche 1B may be completed either during or after the offer period;

completion of the Open Offer (within twenty-six weeks from the expiry of the offer

Underlying Transaction". A tabular summary of the Underlying Transaction is set

	Total consideration for shares/ voting rights acquired (INR)	Mode of payment	Regulation which has triggered
	5,383,202,250	Cash	Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations
	3,160,759,978	Cash	Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations
	Up to 2,780,142,468	Cash	Regulations : 4 of the SEBI (SAST) Regulations
	Up to 1,215,901,970	Cash	Regulations : he SEBI (SAST) Regulations

ect; and this revised schedule of activities shall also be included and updated in

	Original schedule of activities (Day & Date)	Revised schedule of activities (Day & Date)
	Friday, May 08, 2020	Friday, May 08, 2020
	Friday, May 15, 2020	Friday, May 15, 2020
	Friday, May 22, 2020	Friday, May 22, 2020
	Monday, June 08, 2020	Monday, June 08, 2020
onal	Monday, June 15, 2020	Friday, August 7, 2020**
	Wednesday, June 17, 2020	Tuesday, August 11, 2020
er of	Wednesday, June 24, 2020	Tuesday, August 18, 2020
	Monday, June 29, 2020	Friday, August 21, 2020
the	Monday, June 29, 2020	Friday, August 21, 2020
	Tuesday, June 30, 2020	Monday, August 24, 2020
	Wednesday, July 01, 2020	Tuesday, August 25, 2020
	Tuesday, July 14, 2020	Monday, September 07, 2020
o the	Tuesday, July 28, 2020	Monday, September 21, 2020
	Tuesday, August 04, 2020	Monday, September 28, 2020
	Tuesday, August 04, 2020	Monday, September 28, 2020

atched. It is clarified that all Public Shareholders (registered or unregistered) of es to the Underlying Transaction and the persons deemed to be acting in concert unclaimed Equity Shares have been transferred by the Target Company to the object to Part C of Section VI (Statutory and Other Approvals) below.

ged.

shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid

PRIVATE LIMITED

Road, Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India

cientificoperoffer@nomura.com

Number: INM000011419


PRESSMAN

WEDNESDAY, AUGUST 12, 2020

Senior Manager, Kari Technologies Private Limited at Kariy Seemam Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad 500 032 or send an email to evoting@kariy.com or call on +91-40-6716 1562 or on toll free number 1800-345-4001

Date: August 11, 2020
Place: Pune

For HOV Services Limited
Bhuvanesh Sharma
VP-Corporate Affairs &
Company Secretary &
Compliance Officer


MENTOR HOME LOANS INDIA LIMITED
CIN U67120RJ1995PLC009580
Regd. Office: Mentor House, Govind Marg, Sethi Colony, Jaipur (Raj)- 302004
Ph: 0141 2611999 • Email: compliance@mentorloans.co.in • Website: www.mentorloans.co.in

NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING, AND INFORMATION ABOUT REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (25th AGM) of the Company will be held on Friday, 04th September, 2020 at 03.00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the business, as set out in the Notice of the 25th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with MCA Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively.

In compliance with the Circulars of MCA, electronic notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 have been sent to all the members on 11th August, 2020 whose email ids were registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the company at www.mentorloans.co.in and website of CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The business may be transacted through voting by electronic means, for this purpose, the Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

The remote e-voting period begins on Tuesday 01st September, 2020, at 9 A.M. and will end on Thursday 03rd September, 2020 at 5 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 28th August 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting. Any member who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Members may access the CDSL e-voting system at the web link: <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login. The same link is valid for joining the AGM on the meeting day. The detailed instructions for the remote e-voting process, joining the AGM and e-voting during the AGM as also for the members who are holding shares in physical form or whose e-mail ids are not registered with the company/depositories are given in the Notice of the AGM. The attendance of Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members are permitted to join the AGM through VC/OAVM, 15 minutes before and after the scheduled time of commencement of AGM and during the AGM through the facility provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) at www.evotingindia.com by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM.

Those members who are holding shares in physical form or whose e-mail ids are not registered with the company/depositories, are requested to send required details and documents by following instructions below:

Physical Holding	The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) mobile number and e-mail id and also upload scanned copy of the image of share certificate(front and back) by sending an e-mail to Company at compliance@mentorloans.co.in .
Demat Holding	The members are requested to provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at compliance@mentorloans.co.in and/or Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The results declared along with the report of Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at www.mentorloans.co.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-23058738 / 022-23058542/43).

By order of the Board
For Mentor Home Loans India Limited
Sd/-
Rohit Jain
(Company Secretary)

Place : Jaipur
Date : 11.08.2020

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

फ, सजावटी सामान के इंपोर्ट पर कसी लगाम



ऐसा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक व सामान के ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं। यूट्र ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसीडेंट महेंद्र नाया कि चीन से कंप्यूटर और इसके 50 से 60 फीसदी कम हो गया है। सरकार भारतीय मानक ब्यूरो यानी मानक अनिवार्य करने की शर्तों को लागू करे, जिसके बाद मानकों पर खरा उतरने के आयात की अनुमति होगी। उन्होंने कहा बड़ी वजह है जिससे चीन से आयात मग्नवाल ने कहा कि गलवान घाटी की आयातकों में सरकार की नीतियों में

बदलाव होने और आयात शुल्क बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार, प्लास्टिक के सामान के आयातक दिनेश गुप्ता ने कहा कि चीन से अभी आयात बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 50 फीसदी तक कमी जरूर आ गई है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के पायदान समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले चीनी सामान काफी सस्ते होते हैं, लेकिन उनका आयात इस बार बहुत कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय उत्पाद की तुलना में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन सस्ता होता है। चीन से प्लास्टिक के सामान का आयात घटने की वजह पूछने पर गुप्ता ने कहा कि पहली वजह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दूसरी घटिया व सस्ते चीनी सामान का बहिष्कार है। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन और भारत की सेना के बीच झपड़ की घटना के बाद राष्ट्रीय भावना से चीनी वस्तुओं के इस्तेमाल के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। कारोबारी बताते हैं कि चीन से भारत 4,000 से ज्यादा तरह के उत्पादों का आयात करता है, जिनमें ज्यादातर उत्पादों का आयात दूसरे देशों से महंगा होता है, इसलिए इनके

लिए चीन पर निर्भरता बनी हुई है। मगर, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर आत्मनिर्भरता लाई जा सकती है।



मेंटोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड

CIN U67120RJ1995PLC009580

पंजीकृत कार्यालय: मेंटोर हाउस, गांधी नगर, सैडी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान-302004

फोन: 0141-2611999 • ई-मेल: compliance@mentorloans.co.in • वेबसाइट: www.mentorloans.co.in

25 वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं रिपोर्ट ई-वोटिंग के बारे में सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 25 वीं वार्षिक साधारण सभा (25वीं एजीएम) शुक्रवार, 04 सितम्बर 2020 को भारतीय मानक समय (आईएसटी) सायं 3 बजे पर आयोजित की जाएगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के तहत कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में व्यवसाय के लेन-देन करने हेतु सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020, 17/2020 और 20/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई 2020 नियम के साथ पढ़ा जाये।

एमसीए के परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 को लिए एजीएम और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को 11 अगस्त, 2020 को सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। यह दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.mentorloans.co.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 20 (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) और एमसीए परिपत्रों की धारा 108 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में होने वाले व्यवसाय के लेन-देन हेतु रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग के माध्यम से लेन-देन करने की स्थिति में कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") को शामिल किया है।

रिपोर्ट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार 01 सितंबर, 2020 को सुबह 9 बजे शुरू होकर गुरुवार 03 सितंबर, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग को उक्त तिथि और समय के अलावा अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सकेंगे, वे सभी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर दिया है वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा द्वारा पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, उन सभी को कट-ऑफ तारीख 28 अगस्त, 2020 तक रिपोर्ट ई-वोटिंग या सामान्य वोटक में ई-वोटिंग से मतदान करने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य जो कट-ऑफ तारीख पर सदस्य नहीं है, उसे केवल सूचना उद्देश्यों के लिए ही इस नोटिस का अधिकार होगा।

सदस्य सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली हेतु वेब लिंक <https://www.evotingindia.com> पर श्रेयधारकों/सदस्य लांगिन के तहत उपयोग कर सकते हैं। वोटक के दिन एजीएम में शामिल होने के लिए यही लिंक मान्य है।

रिपोर्ट ई-मतदान प्रक्रिया, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने के साथ-साथ उन सदस्यों को लिए जो भौतिक रूप से श्रेय धारण कर रहे हैं या जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, इसके विस्तृत दिशा निर्देश एजीएम की सूचना में उल्लेखित है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कार्रम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

सदस्यों को एजीएम को शुरू होने के 15 मिनट पहले और बाद में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की अनुमति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई सुविधा के माध्यम से www.evotingindia.com पर लांगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और कंपनी के एजीएम हेतु इवीएसन का चयन कर सकते हैं। ऐसे सदस्य जो भौतिक रूप से श्रेय धारण कर रहे हैं या जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके आवश्यक विवरण और दस्तावेज भेजें:

भौतिक रूप से धारित करते हुए	सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपना नाम, फोलियो नंबर, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन कॉपी) मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और श्रेय प्रमाण पत्र (आगे और पीछे) की छवि की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करने के लिए कृपया compliance@mentorloans.co.in पर कंपनी को ई-मेल प्रेषित करें।
डीमैट रूप से धारित करते हुए	सदस्यों से डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। अनुपालन के लिए आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन प्रति compliance@mentorloans.co.in या कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी खाते की सलाह के अनुसार अपना ई-मेल पता अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

स्कूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम को कंपनी की वेबसाइट www.mentorloans.co.in पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर चयनित या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद रखा जाएगा।

यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अवसर पूछने वाले प्रश्नों ("FAQs") और www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल में सहायता अनुभाग के अंतर्गत या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करके या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (022-23058738 / 022-23058542/43) से संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते मेंटोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड
हस्ता/-
रोहित जैन
(कंपनी सचिव)

स्थान: जयपुर
दिनांक 11.08.2020

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक - भूखंड प्रथम/2020/12728

दिनांक 11-08-2020

-सार्वजनिक सूचना-

एतद द्वारा श्री कन्हैयालाल, श्री भगवानदास पुत्र श्री मोहनदास बैरागी को न्यास की योजना पटेलनगर में भूखण्ड संख्या 2-ए-3 साईज 25 x 49 = 136.11 वर्गगज दिनांक 18.03.1994 को आवंटन / अबाई / निलामी द्वारा विक्रय गया है।

इस कार्यालय को प्रस्तुत विक्रय चैनल अनुसार श्री कन्हैयालाल, श्री भगवानदास पुत्र श्री मोहनदास बैरागी ने श्रीमती आरती जैन पत्नी श्री महेन्द्र मोगरा एवं श्रीमती निलम जैन पत्नी श्री भूपेन्द्र मोगरा को विक्रय कर दिया गया एवं श्रीमती आरती जैन पत्नी श्री महेन्द्र मोगरा एवं श्रीमती निलम जैन पत्नी श्री भूपेन्द्र मोगरा ने श्री राधेश्याम पुत्र श्री बंशीलाल विजयवर्गीय को विक्रय कर दिया गया एवं इनके द्वारा श्रीमती मधु खड पत्नी श्री प्रदीप खड को विक्रय कर दिया गया एवं इनके द्वारा नियुक्त उक्त भूखण्ड के जरिये मु.आम श्री कुमार पुत्र श्री कान्तीलाल व्यास द्वारा मु.आम उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 17.03.2017 को रजिस्टर्ड है, इनके द्वारा श्रीमती अयोध्यादेवी व्यास पत्नी श्री कान्तीलाल व्यास को विक्रय कर दिया गया इनके द्वारा उक्त भूखण्ड के नामांतरण/पंजियन बाबत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपनी उजरदारी मय सबूत, दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने आगामी कार्यवाही संपादित की जावेगी।

श्रीमती अयोध्यादेवी व्यास पत्नी श्री कान्तीलाल व्यास, नि.भीलवाड़ा।

प्रभारी अधिकारी - नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर परिषद भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक /नपभी/भवन/निदा 53/20-21/8296

दिनांक 30-07-2020

-उजरदारी सूचना-

प्रार्थीगण श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह एवं श्रीमति सुनिता कवर पत्नि श्री धर्मेन्द्र सिंह ने ज्योतिनगर विस्तार,स्थित भूखण्ड संख्या 110 साईज 25% x 49% = 136.11 वर्गगज पर आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति चाही है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बंध में किसी को कोई लेखित में एक प्रति में अपना आपत्ति प्रार्थना पत्र आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में लिखित में एक प्रति में अपना आपत्ति प्रार्थना पत्र परिषद कार्यालय में पेश करें। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा एवं आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति संबंधी अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा

9 के है

“भारतीय कृषि 4 अरब डॉलर का है, है।” उन्होंने कहा की फसल के दौरान धेक खरीद हुई है, जो है।

हाथों में एक लाख राशि पहुंचाई है तथा रिकॉर्ड भी तोड़ दिए उद्योग ने किसानों के करोड़ रुपये पहुंचाए हैं। न फसलों ने ग्रामीणों को रुपये की आमदनी कहा कि ये संकेतक क्षेत्रों में एफएमसीजी के लिए प्रेरित करेंगे। वाणिज्यिक उपभोग में और पेय उद्योग को छ झटका झेलना पड़ा से सुधार की ओर रीद है कि भोजन और से कमना संभालेंगे।”